फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री संजय कुमार जैन, पूर्व पार्षद, निवासी गोठी भवन, वार्ड नं. 08, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 013/2026 (RTI)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.26	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री संजय कुमार जैन, पूर्व पार्षद, निवासी गोठी भवन, वार्ड नं. 08, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.11.2025 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.112025 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 14.12.2025 तक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 13.01.2026 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	..... लगातार

	अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित/निर्धारित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 06 दिवस के पश्चात् दिनांक 19.01.2026 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक) को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अपने अपील आवेदन में अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	